संख्या:12/2025/14ई-2/तेरह-2025-1786183

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग 2 लखनऊः दिनांकः 06 मार्च, 2025

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, गोरखपुर को 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डुअल फीड (शीरा एवं अनाज) के लिए प्रदत्त अनुमति में से 45 टन प्रति घंटे का एफ.डी.सी. ब्वायलर एवं 7.025 मेगावाट की टरबाइन को छोड़कर शेष अनुमति निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-134/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल, दिनांक 29-01-2024, पत्र संख्याःजी-09/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल. दिनांक 26-04-2024, एवं पत्र संख्याःजी-111/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी. एल, दिनांक 30-12-2024 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव महोदया की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05-02-2024 के कार्यवृत्त दिनांक 07-02-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, गोरखपुर में अधिष्ठापित 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरे पर आधारित वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट को शीरे के साथ-साथ अनाज (ग्रेन) से भी ई.एन.ए. उत्पादन की अनुमति दिये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 06-01-2022 के क्रम में आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 12-02-2022 के अन्तर्गत इकाई द्वारा स्थापित किये गए 45 टन प्रति घंटे के एफ.डी.सी. ब्वायलर एवं 7.025 मेगावाट की टरबाइन के व्यवसायिक रूप से प्रयोग किये जाने तथा उक्त शासनादेश दिनांक 06-01-2022 द्वारा इकाई को प्रदत्त शेष अनुमति निरस्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः12/2025/14(1)ई-2/तेरह-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।